संख्या–सा–3– 1523 / दस–2011–308 / 97टी0सी.

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक : 14 नवम्बर, 2011

विषय :– पारिवारिक पेंशनरों को 80 वर्ष अथवा अधिक आयु प्राप्त कर लेने पर अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन संबंधी व्यवस्था का सरलीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–सा–3–1541 / दस–2008–308 / 97 टी0सी0, दिनांक–07 जनवरी, 2009 के प्रस्तर–(5) में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि अभिलेखों में पारिवारिक पेंशनर की जन्म–तिथि का उल्लेख न हो तथा केवल आयु का उल्लेख हो तो 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर लेने पर अतिरिक्त पेंशन की अनुमन्यता हेतु उस वर्ष की पहली जुलाई जन्म–तिथि मानी जायेगी।

2– पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–38 / 37 / 08–पी0 एण्ड पी0 डब्ल्यू(ए) दिनांक 21 मई, 2009 के प्रस्तर–5 में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि अभिलेखों में पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की जन्म–तिथि का उल्लेख न हो तथा केवल आयु का उल्लेख हो तो उसके आधार पर जिस वर्ष की पहली जनवरी को उसकी आयु 80 वर्ष, 85 वर्ष इत्यादि पूर्ण हो रही हो, उसे उस वर्ष की पहली जनवरी से अतिरिक्त पेंशन देय होगी।

3– उपरोक्त के कम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 07 जनवरी, 2009 के उपर्युक्त शासनादेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं कि ऐसे सभी मामलों में जिनमें पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की सही–सही जन्म–तिथि अभिलेखों में अंकित न हो तथा केवल आयु का उल्लेख हो तो, उनमें अतिरिक्त पेंशन उस वष की पहली जनवरी से अनुमन्य होगी जिस वर्ष, पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की आयु 80 वर्ष, 85 वर्ष इत्यादि पूरी हो रही हो।

4– शासनादेश संख्या–सा–3–1541 / दस–2008–308 97 टी0सी0 दिनांक 07 जनवरी, 2009 सपठित शासनादेश संख्या–सा–3–1341 / दस–2010–308–97 टी0सी0 दिनांक 23 अगस्त, 2010 में यह व्यवस्था दी गयी है कि पारिवारिक पेंशनर की आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र, पेंशन आहरण के जनपद में स्थित विभागीय कार्यालय के माध्यम से कोषागार कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे । शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि उपर्युक्त व्यवस्था के अनुपालन में वयोवृद्ध पेंशनरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । अतः सम्यक्

विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पारिवारिक पेंशनर द्वारा आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र, जैसे शासनादेश दिनांक 07 जनवरी, 2009 में निर्दिष्ट किये गये हैं, सीधे कोषागार कार्यालय में इस आशय के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे कि उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जाय। उपर्युक्त आवेदन पत्र एवं जन्म–तिथि/आयु प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित कोषागार कार्यालय द्वारा अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत करते हुए उसकी सूचना जनपद स्थित विभागीय कार्यालय को भी दे दी जायेगी। आवेदन पत्र तथा जन्म–तिथि/आयु संबंधी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि उस जनपद, जहाँ से पेंशन प्राप्त की जा रही हो, में स्थित विभागीय कार्यालय में भी पेंशनर द्वारा सूचनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन तत्परता से सुनिश्चित किया जाय ।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव।

संख्या–सा–3– 1523 (1)/दस–2010–308/97 टी0सी0, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2– प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय ।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, लखनऊ ।
4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6– निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्षों को इस संबंध में यथेष्ट निर्देश प्रदान कर दें।
8– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश को स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियाँ (कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 प्रतियाँ) (कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पाँच प्रतियाँ)
9– इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
10–सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11–सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
12–प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी.डाटा सेन्टर, वित्त विभाग, कक्ष संख्या–82, नवीन भवन, विधान भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

प्यू0पी0–ए0पी0 69 सा0 वित्त–19–11–2011–(1240)–3000+2 प्रतियां–(आफसेट)।